

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-23012021-224672
SG-DL-E-23012021-224672

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]	दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2021/माघ 2, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 286
No. 26]	DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2021/MAGHA 2, 1942	[N. C. T. D. No. 286

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 जनवरी, 2021

सं. एफ. 82(265)/ए.ओ.-III/अमेडमेंटपी.डब्ल्यू.डो.ऐक्ट/डी.एस.डब्ल्यू./09/16265-16283.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल, निःशक्तजन अधिनियम, 2016 की उप-धारा (1) धारा 79 के साथ पठित दिल्ली निःशक्तजन अधिनियम, 2018, अध्याय-11 के नियम 41 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री रंजन मुखर्जी को आयुक्त (निःशक्तजन) नियुक्त करते हैं। उपरोक्त अधिनियम के अनुसार आयुक्त अपने कार्य एवं अधिकार का निर्वाह निर्धारित उपरोक्त नियम के अन्तर्गत, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में करेंगे। इनके कार्यकाल की अवधि कार्यभार ग्रहण करने से 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले आये वो होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
रश्मि सिंह, निदेशक (समाज कल्याण)

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE**NOTIFICATION**

Delhi, the 22nd January, 2021

No. F. 82(265)/AO-III/Amendment PwD Act/DSW/09/16265-16283.—In exercise of powers conferred under sub-section (1) of Section 79 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 read with Rule 41, Chapter-XI of the Delhi Persons with Disabilities Rules, 2018, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby appoints Sh. Ranjan Mukherjee, as Commissioner (Persons with Disabilities) for the purpose of the said Act. He shall exercise the powers conferred on and perform the functions assigned to the said Commissioner, under the said Act in the whole of the National Capital Territory of Delhi w.e.f. the date of publication of the notification. The term of Commissioner will be for the period of 03 (three) years from the date of joining or 65 years whichever is earlier.

By Order and in the Name of Lt. Governor,
NCT of Delhi,

RASHMI SINGH, Director (Social Welfare)